रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 517] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 30, 1993/भाद्र 8, 1915
No. 517] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 30, 1993/BHADRA 8, 1915

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(स्टॉक एक्सचेंज प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1993

का.आ. 656(अ).—केन्द्रीय सरकार, पुणे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, पुणे द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् "एक्सचेंज" कहा गया है) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियमावली, 1957 के नियम 7 के साथ पठित प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42वां) की धारा 3 के अंतर्गत मान्यता के नवीकरण के लिए दिए गए आवेदन-पत्र पर विचार करने और उस बात से संतुष्ट होने के बाद, कि ऐसा करना व्यापार के हित में तथा लोकहित में भी होगा, उक्त अधिनियम की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा

एक्सचेंज को उक्त धारा 4 के अधीन 2 सितम्बर, 1993 से आरम्भ होने वाली और 1 सितम्बर, 1998 को समाप्त होने वाली पांच वर्ष की अग्रेतर अवधि के लिए प्रतिभूतियों के संविदाओं के संबध में ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों जिन्हें केन्द्रीय सरकार समय-समय पर लगाती है, मान्यता प्रदान करती है।

[एफ. संख्या 1/54/एस. ई./93]

पी. जे. नायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Stock Exchange Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th August, 1993

S.O. 656(E).—The Central Government having considered the application for renewal of recognition made under section 3 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, (42 of 1956), read with rule 7 of the Securities Contracts (regulation) Rules, 1957, by the Pune Stock Exchange Limited, Pune (hereinafter referred to as the 'Exchange') and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 4 of the said Act, recognition to the Exchange under the said section 4 for a further period of five years commencing on the 2nd day of September, 1993 and ending with the 1st day of September 1998 in respect of contracts in securities subject to such conditions, if any, as the Central Government may from time to time impose.

[F. No. 1|54|SE|93]

P. J. NAYAK, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993